International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 2; Issue 5; September 2017; Page No. 361-362

मनुस्मृति में वर्णित राजनीतिक चिन्तन

भूपेन्द्र प्रताप सिंह
शोधच्छात्र, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता अपने आदि से वर्तमान तक मानवमात्र के कल्याण और विकास की परम्परा पर आधारित हो मानवता के शाश्वत स्वरूप को उद्घाटित करती है। समस्त पृथ्वी मंडल पर सृष्टि–निर्माण और जीवनारम्भ का प्रमाण भारत एवं भारतीयता का उत्कर्ष है क्योंकि वर्तमान समय–निर्धारण पाश्चात्य मताश्रित ई0पू0 एवं ई0 सन् द्वारा होता है। यह निर्धारण वस्तुतः अपनी उपस्थिति और अस्तित्त्व की स्थापना हेतु पाश्चात्यों का एक प्रयासमात्र है। भारतीयता के सर्वांगीण चिन्तन एवं स्थायित्व का मूलस्त्रोत वैदिक एवं लौकिक साहित्य, पुराण, इतिहास, महाकाव्य आदि ग्रन्थ हैं।

मानव एवं उसकी नैसर्गिक प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु भारत के आदि आचार्यो, प्राचीन ऋषियों एवं विद्वानों तथा चिन्तकों ने वैयक्तिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नैतिक, आर्थिक आदि अनेक प्रकार से स्थायी अनुसंधान किया गया। इसी क्रम में पौराणिक आख्यानों से परिपुष्ट तथ्यों के आद्यप्रवर्तक, विधिनिर्माता, क्षात्रधर्म के आद्यप्रतिनिधि तथा मानव जीवन के नियमों का उल्लेख करने वाले आद्यमानव मनु का चिन्तन सर्वकल्याणमुखी है भारतीय साहित्य में चौदह मनुओं की स्थिति स्वीकार की गयी है। वर्तमान में वैवस्वत मनु का काल प्रवर्तन में है। मनुस्मृति, मनुशास्त्र, मनुसंहिता एवं मनुधर्मग्रन्थ आदि का सम्बन्ध स्वायम्भुव मनु से है।

वर्णानामनुकम्यार्थं मननियोगाद् विराटस्वयंम्।
स्वायम्भुवों मनुर, धर्मान् मुनीनां पूर्वमुक्तवान्।।[1]

मनुस्मृति के रचनाकाल के सम्बन्ध में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों में मतभिन्नता है। बहुत से विद्वानों ने मनुस्मृति को रामायण एवं महाभारत जैसे आद्यग्रन्थों से पूर्व, समकालीन एवं परवर्ती कहा है। मतभेदों के इतर मनुस्मृति प्रथम विधि ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित है। स्मृति एवं श्रुति ग्रन्थ ही भारतीयता के आचार व्यवहार, दैनिक नियमों एवं कर्त्तव्यों के दायित्वपूर्ण निर्वहन के लिये विधियों का आद्यस्त्रोत है।

महास्मृति पठेद्यस्तु तथैवाऽनुस्मृतिं शुभाम्।[2]

मनुस्मृति ग्रन्थ बारह अध्यायों में विभक्त है जिसमें मानव जीवन, शासन, सत्ता, शिक्षा, विधि, दर्शन आदि का विशद् विवेचन है। भारतीय राजनीतिक आदर्शो एवं राजव्यवस्था के संचालन सम्बन्धी विस्तृत वर्णन चतुर्थ से दशम अध्याय में उपलब्ध है। मनु द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया गया। ब्राह्मण को मुख्य मार्गदर्शक एवं प्रेरक के रूप में राजा की गुप्तमंत्रणा का सहायक बताया तथा राज्य के दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त को स्वीकार किया।

यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः।[3]

राजा पृथ्वी पर मनुष्यरूप में उत्पन्न होता है, परन्तु वह ईश्वर का अभिन्न अंश है क्योंकि राजा की उत्पत्ति इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरूण आदि देवताओं के प्रभाव से हुई। देवों की भाँति न्याय, विवेकपूर्ण शक्ति का प्रयोग, कल्याण की भावना राजा को देवत्व स्वरूप प्रदान करती है।

इन्द्राऽनिलयमाऽर्काणामग्नेश् च वरूणस्य च।
चन्द्रवेत्तिशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः।।[4]

राजनीतिक चिन्तन के रूप में मनुस्मृति में राज्य के सप्ताङ्ग सिद्धान्त को स्वीकार किया गया जिन्हें राज्य की अनिवार्य प्रकृतियों यथा– स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोश, दण्ड तथा सुहृद् या मित्र के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। मनु ने इन प्रकृतियों में किसी एक को वरीयता ने देकर सबको समान महत्त्व दिया।

स्वाम्यमात्यौ पुरः राष्ट्रं कोशदण्डौ सुहृत् तथा।
सप्तप्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्गराज्यमुच्यते।।[5]

मनुस्मृति में राजपदधारण हेतु योग्य, शक्तिसम्पन्न तथा दण्डधारी, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न व्यक्ति को स्वीकार किया गया क्योंकि शास्त्र उक्त गुणोत्पन्न राजा द्वारा धर्म की स्थापना हेतु दण्ड का प्रयोग उचित मानते हैं। दण्ड का सृजन ईश्वर द्वारा किया गया है जिसका धर्मपूर्वक प्रयोग प्राणिमात्र के अभीष्ट कल्याण के लिये किया जाना चाहिए।

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाऽभिरक्षति।
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर बुधाः।।[6]

मनुस्मृति में राजा के लिये दो अनिवार्य कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया। यथा–प्रथम, दण्डधारण कर अपनी प्रजा को धर्म में निरत करना; द्वितीय, स्वयं की दण्डधारण करने की योग्यता एवं सामर्थ्य को अक्षुण्ण रखना। स्वकर्त्तव्यों के सम्यक् अनुपालन द्वारा ही राजा धर्म का संस्थापक कहा जाता है।

त राजा प्रणयन् सम्यक् त्रिवर्गेणाऽभिवर्धते।।[7]

राजा द्वारा शासन संचालन हेतु नियुक्त सात या आठ विशिष्ट सदस्यों से बनी मंत्रिपरिषद की सहायता लेनी चाहिए। इसमें वरीयताक्रम में मूल एवं परम्परागत सेवकों, शास्त्रज्ञों, संकल्पवान्, धैर्ययुक्त, कुलीन वीर पुरूष को परीक्षणोपरान्त अपना अमात्य नियुक्त करना चाहिये।

मौलाञ्छास्त्रविदः शूरालँलब्धलक्षान् कुलोद्भवान्।[8]

राज्य के विकास एवं समुचित संचालन के लिए मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों में गोपनीयता होना आवश्यक है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को गुप्त रखने के लिए राजा को राज–प्रासाद तथा निर्जन पर्वत जैसे गुप्त स्थान पर पूर्णतः स्वस्थ मन द्वारा मध्याह्न एवं अर्द्धरात्रि में एकत्र होकर सन्धि, विग्रह, समूह एवं षाडगुण्य नीतिविषयक मंत्रणा करनी चाहिए।

तैः सार्द्धं चिन्तयेन् नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्।
स्थानं समुदयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च।।[9]

भारतीय राजनीतिक चिन्तन परम्परा में न्याय को व्यवहार के रूप में प्रस्तुत किया गया। मनुस्मृति में व्यवहार के अन्तर्गत अट्ठारह पद एवं मार्ग रूपी क्षेत्रों का वर्णन किया गया जिसमें प्रत्येक विभाग पृथक्–पृथक् मन्त्रियों के अधीन कार्यान्वित किये जाने का प्रावधान था।

पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिता विह।[10]

मनुस्मृति के अनुसार राज्य को अनेक न्यायालयों की व्यवस्था का निर्देश दिया गया जिसके अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय राजा एवं अधीनस्थ न्यायालय धर्म प्रवक्ता, या प्राड्विवाक् जैसे न्यायाधीशों के द्वारा न्यायिक कार्य हेतु संचालित हो। समस्त न्यायिक निर्णयों के प्रमाण हेतु मनु ने लेख, साक्षी एवं भोगरूप तीन प्रमाणों का उल्लेख किया।

धर्मप्रवक्ता नृपतेर्न न तु शूद्रः कथञ्चन।[11]
अनेन विधिना राजा मिथो विवद्तां नृणाम्।
साक्षिप्रत्यय सिद्धानि कार्याणि समतां नयेत्।।[12]

मनु ने कर एवं अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में व्यापक विचार प्रस्तुत किये। कर व्यवस्था राज्य का एक आवश्यक अंग है। पशु, स्वर्ण, रत्न, धान्य, वृत्त, मांस तथा अन्य कार्यो के लिये व्यापारियों से धन–धान्य तथा शिल्पियों से श्रम के रूप में कर लिया जाता था।

योगक्षेमं च सम्प्रेक्ष्य वणिजो दापयेत् करान्।[13]
कारूकाञ्छिल्पिनश् चैव शूद्रांश्चाऽऽत्मोपजीविनः।
एकैकं कारयेत् कर्म मासि–मासि महीपतिः।।[14]

राजनीतिक चिन्तन में राजा के लिए दण्डविधान सर्वोपरि माना गया है। मनुस्मृति में उपस्थ, उदर, जिहवा, हस्त, पाद, नेत्र, नासिका, कर्ण, धन और देह स्वरूप वाले दण्ड के दश स्थान बतलाये गये हैं।

उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम्।
चक्षुरनासा च कर्णो च धन देहस्तथैव च।।[15]

राजा द्वारा दण्डविधान का प्रयोग संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव, संश्रय आदि के द्वारा धर्मपूर्वक तथा अपराध की प्रकृति के अनुसार किया जाना चाहिए। वाग्दण्ड, धिग्दण्ड या धनदण्ड तथा वध या प्राणदण्ड या मृत्युदण्ड रूप से कई दण्ड के प्रकार बतलाये गये हैं। मनुस्मृति में दण्ड प्रयोग पीड़ानुसार या व्यक्ति भेद के निर्णयन पर आधारित था जिसमें अधर्मी माता–पिता, आचार्य, मित्र, स्त्री, पुत्र तथा पुरोहित भी कर्मानुसार दण्डनीय थे।

वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद् धिग्दण्डं तदनन्तरम्।
तृतीयं धनं तु वधदण्डमतः परम्।।[16]
पिताऽऽचार्यः सुहृन् माता भार्या पुत्रः पुराहितः।[17]

राजनीति के आरम्भ से ही राज्य के सप्ताङ्गों में कोष/कोश अथवा धन–सम्पदा को प्रमुखता दी गयी। मनुस्मृति में राजकोष की वृद्धि एवं उसके संचय के लिये कोष–संग्रह सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया जिसमें बलि, शुल्क, दण्ड, तट, पशु, आय, शिल्प एवं श्रमकरों का आरोपण किया जाता था।

धर्मेण च द्रव्यवृद्धावातिष्ठेद् यत्नमुत्तमम्।[18]

मनु द्वारा राज्य मण्डल की चार श्रेणियाँ यथा–मध्यम, शत्रु, मित्र और उदासीन बतलायी गयी। मित्र अथवा सहृद् अंग के अन्तर्गत, मित्र, शत्रुमित्र, मित्रमित्र आदि का उल्लेख किया गया। राजा, राज्य तथा प्रजा के सर्वतोमुखी कल्याण में वृद्धि हेतु सामदण्डादि चार उपायों का अनुप्रयोग अनिवार्य बताया गया।

मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम्।
उदासीनप्रचारञ्च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः।।[19]
सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः।[20]

इस प्रकार मनु द्वारा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन परम्परा में मनुस्मृति भारतीय मनीषा को प्रदत्त एक अमूल्य उपहार है। अनेक राजनीतिक सिद्धान्तों, तथ्यों, विधियों, नियमों, को परम्परागत मान्यताओं का विशद् विवेचन मनुस्मृति नामक ग्रन्थ में समुपलब्ध है। मनुस्मृति में वर्णित विविध राजनीतिक शब्दावलियों, दृष्टान्तों के द्वारा परवर्ती राजनीतिक चिंतको को उपजीव्यता प्राप्त हुई। अतः आज भी मनु भारतीय राजनीति के द्रष्टा, प्रथम विधि निर्माता के रूप भारतीय साहित्य राजनीति, संविधान आदि में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित हैं।

सन्दर्भ

1. कूर्मपुराण – 1/12/165
2. महाभारत, शान्तिपर्व – 200/30
3. मनुस्मृति – 7/5
4. मनुस्मृति – 7/4
5. मनुस्मृति – 9/294
6. मनुस्मृति – 7/29
7. मनुस्मृति – 7/27
8. मनुस्मृति – 7/54
9. मनुस्मृति – 7/58
10. मनुस्मृति – 8/7
11. मनुस्मृति – 8/20
12. मनुस्मृति – 8/178
13. मनुस्मृति – 7/127
14. मनुस्मृति – 7/138
15. मनुस्मृति – 8/125
16. मनुस्मृति – 8/129
17. मनुस्मृति – 8/335
18. मनुस्मृति – 9/333
19. मनुस्मृति – 7/155
20. मनुस्मृति – 7/109